Web Copy not Official

न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– 2, वैशाली, हाजीपुर ।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या– 309 / 2026

सोनल राज व अन्य बनाम् बिहार सरकार

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या– 355 / 2026

शुभम कुमार व अन्य बनाम् बिहार सरकार

हाजीपुर सदर थाना कांड संख्या– 583 / 2025

अंतर्गत धारा– 309(4) बी.एन.एस.

18.03.2026 आवेदकगण **सोनल राज व शुभम कुमार** की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन दि0 18.03.2026 को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है की आवेदक ने जमानत के लिए किसी भी अन्य न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल नहीं की है। दोनों आवेदक दि0 21.01.2026 से काराधीन है। आवेदक सोनल राज और आवेदक शुभम कुमार ने वि0 सी.जे.एम. न्यायालय, हाजीपुर में जमानत आवेदन दाखिल किया था जिसे क्रमशः दिनांक– 31.01.2026 और दिनांक– 02.02.2026 को खारिज कर दिया गया था। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है तथा उचित जमानतदार देने को तैयार है, अतः दोनों आवेदक सोनल राज व शुभम कुमार को जमानत दी जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक उपरोक्त जमानत आवेदन का विरोध किया गया है और इसे खारिज करने की प्रार्थना करते है।

सुना। अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सूचक राजीव कुमार के फर्दब्यान के आधार पर हाजीपुर सदर थाना कांड संख्या– 583 / 2025 दिनांक– 18.07.2025 धारा– 309(4) बी.एन.एस. के अन्तर्गत बजाज पल्सर निबंधन संख्या– BR-06CF-3672 पर सवार तीन अज्ञात के विरूद्ध दर्ज है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि औपचारिकी प्राथमिकी अज्ञात के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। उपरोक्त अभियुक्त का नाम सह अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर दिया गया है। अभियुक्तगण के पास से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं है। अभियुक्तगण का टी.आई.पी. नहीं कराया गया है। दोनों आवेदक दि0 21.01.2026 से काराधीन है। अतः दोनों आवेदक

न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– 2, वैशाली, हाजीपुर ।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या– 309 / 2026

सोनल राज व अन्य बनाम् बिहार सरकार

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या– 355 / 2026

शुभम कुमार व अन्य बनाम् बिहार सरकार

हाजीपुर सदर थाना कांड संख्या– 583 / 2025

अंतर्गत धारा– 309(4) बी.एन.एस.

Web Copy not Official

की ओर से दाखिल नियमित जमानत याचिका इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि आवेदक 10,000 / –(दस हजार रूपये) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा–480 (3) बी0एन0एस0एस0 की शर्त्तों के अधीन बंधपत्र दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में नियमित जमानत पर मुक्त करने आदेश दिया जाता है। आवेदकगण के दोनों जमानतदारों में से कोई एक उसके निकट संबंधी होंगे तथा दोनों आवेदक आरोप गठन के बिन्दू पर सुनवाई के समय तक प्रत्येक तिथि पर विद्वान न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगा। विचारण के दौरान प्रत्येक तिथि पर उचित पैरवी करेगा तथा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के लगातार दो तिथियों पर उचित पैरवी नहीं करने पर विद्वान विचारण न्यायालय आवेदकगण का बंधपत्र निरस्त कर सकते है। दोनों आवेदक साक्ष्य के साथ कोई छेड़–छाड़ नहीं करेगा।

कार्यालय इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को भेजे।

लेखापित,

ह0 / –

प्रभारी जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश –2

18.03.2026